उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-24/2016/889/94स्टा०नि०-2-16-500(05)/91टी०सी०

लखनऊ, दिनांक 16 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या- 2, सन् 1899) की धारा 76-क के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल सन् 1899 के उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1), (1-क) के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियां (अध्याय पांच के अधीन कलेक्टर द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली शक्तियों पर नियंत्रण के सिवाय) नीचे अनुसूची के स्तम्भ-1 में उल्लिखित अधीनस्थ राजस्व प्राधिकारियों को स्टाम्प शुल्क के ऐसे विवादों, जो स्तम्भ-2 में उनके समक्ष दर्शायी गयी धनराशि के अंतर्गत हों, के संबंध में अपनी- अपनी अधिकारिता के अधीन प्रत्यायोजित करते है।

अनुसूची

स्तम्भ-1 **मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी**	स्तम्भ-2 **विवाद में अंतर्ग्रस्त स्टाम्प शुल्क**
(क) न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद	रूपये पचीस लाख से अधिक
(ख) उपायुक्त स्टाम्प, संबंधित मण्डल/वृत्त	रूपये पचीस लाख तक

आज्ञा से

(अनिल कुमार)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2016/889/94/स्टा०-नि०-2-2016-500(05)/91टी०सी०, दिनांक16 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 16-09-2016 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-24/2016/889/94/स्टा०-नि०-2-2016-500(05)/91टी०सी०,दिनांक16 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर कार्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त उपायुक्त स्टाम्प, मण्डल/वृत्त, उत्तर प्रदेश।
8. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
9. शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11. गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Government of Uttar Pradesh

Stamp and Registration, Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.24/2016/889/94/St.Ni.-2-16-500(05)/91 T.C. dated 16 September, 2016.

Notification

No.24/2016/889/94/St.Ni.-2-16-500(05)/91 T.C.

Lucknow. dated. 16 September, 2016

In exercise of the powers under clause (b) of section 76-A of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no.2 of 1899) read with section 21 of General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of previous notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to delegate the powers conferred on the Chief Controlling Revenue Authority under sub-section (1) (1-A) of section 56 (except the control over the powers exercisable by the Collector under Chapter 5) of the said Act of 1899 to the subordinate revenue authorities mentioned in Column-1 of the Schedule below in respect of disputes of stamp duty involving the amount shown against each in Column-2 with respect to their jurisdiction.

SCHEDULE

Column-1 **Chief Controlling Revenue Authority**	**Column-2** **Value of stamp duty involved in the dispute**
(a) Member Judicial, Board of Revenue	Exceeding Rupees twenty five lakh
(b) Deputy Commissioner of stamp of Division/Circle	Up to Rupees twenty five lakh

By order

(Anil Kumar)

Pramukh Sachiv

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।